भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 980
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल और जल संसाधनों की उपलब्धता

980. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पेयजल उपलब्धता और जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं।
(ख) क्या सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार, अगस्त, 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को (55 एलपीसीडी, बीआईएस: 10500 मानक पर) नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, लगभग 3.24 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने

की सूचना दी गई थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 02.02.2026 तक जेजेएम के तहत 12.55 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.02.2026 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ (81.59%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

सरकार ने पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को तेजी से नल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में योजना बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीमों द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति हेतु एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं।

अब तक हुई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 के माध्यम से कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की है।

***